कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

(खण्ड–3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)
E-mail- com-labour.cg@gov.in, Phone No. 0771-2443515, Fax-0771-2443516

क्र./14/श्रम यशस्वी पुरस्कार/श्र.क./श्र.आ./2020/ 6728,　　　दिनांक ....
11 6 OCT 2024

प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क, जिला- रायपुर (छ0ग0)

विषय :- स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति यशस्वी पुरस्कार वर्ष 2023-24 के संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित करने बाबत्।

संदर्भ :- 1) श्रम विभागीय पत्र क्र0 एफ 11-13/2014/16, दिनांक 16.10.2024
2) इस कार्यालय का पत्र क्र. 6209, दिनांक 25.09.2024.

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत सदंर्भित पत्र के तारतम्य में स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव, स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार वर्ष 2023-2024 के लिए ऑनलाईन प्रविष्टियाँ/आवेदन आमंत्रित तिथि 10.10.2024 को बढ़ाकर दिनांक 20.10.2024 किया गया है।

अतः छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली राज्य स्तरीय पुरस्कार स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार 2024 से संबंधित विज्ञप्ति जनसाधारण के सूचनार्थ प्रदेश के विभिन्न 03 समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु संलग्न है। कृपया प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।
(श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित)

16/10/2024

(सविता मिश्रा)
अपर श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़

F:\section 5\all shram award docu\shram award 2024\application form letter 2024.docx

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, खण्ड–03, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)
Email ID - cglc2012@gmail.com, ☎ No.-0771-2443514, Fax No.-0771-2443516

// स्व0 रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार-2023-2024//

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार दिया जाता है जिसके अंतर्गत रूपये 02 लाख एवं प्रशास्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

अतः ऐसे श्रमिक/संस्था जिन्होने **''श्रम के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 में किये गये उल्लेखनीय योगदान के आधार पर चयनित किया जायेगा, मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दिशा में विशेष कारगार उपाय किया हो, जिसके फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में कोई गंभीर दुर्घटना न हुई हो एवं सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया हो, जिससे प्रदेश का नाम श्रम जगत में गौरवान्वित हुआ हो''** के द्वारा दिनांक 10.10.2024 तक श्रम विभाग की वेबसाईट में दी गई लिंक (**shramevjayate.cg.gov.in/alankran.aspx**) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुति हेतु आमंत्रित तिथि को बढ़ाकर दिनांक 20.10.2024 तक किया जाता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

श्रम यशस्वी पुरस्कार से संबंधित नियम, अर्हताएं, प्रक्रिया, आवेदन प्रपत्र आदि श्रम विभाग की वेबसाईट (**shramevjayate.cg.gov.in/alankran.aspx**) से डाउनलोड की जा सकती है।

(श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित)

16/10/2024.

(सविता मिश्रा)
अपर श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़

F:\section 5\all shram award docu\shram award 2024\application form letter 2024.docx

स्व0 रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार 2023-2024 के लिए प्रविष्टि का निर्धारित प्रपत्र

प्रति,

श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर

--000--

01. श्रमिक/संस्था का विवरण

(अ) व्यक्तिगत आवेदन हेतु :-

श्रमिक का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल क्रमांक/ई-मेल	कार्यरत संस्था/कारखाने का नाम एवं पता
1	2	3	4	5

(ब) संस्था द्वारा आवेदन हेतु :-

संस्था/कारखाना का नाम एवं पता	संस्था/कारखाना के पदाधिकारी का नाम एवं पता	संस्था/कारखाना का पंजीयन/अनुज्ञप्ति क्रमांक/दिनांक	दूरभाष/मोबाईल क्रमांक
1	2	3	4

02. आवेदक श्रमिक/संस्था द्वारा किये गये कार्यों का सारगर्भित विवरण (अधिकतम 500 शब्दों में) प्रस्तुत किया जावे :-

F:\section 5\all shram award docu\shram award 2024\application form letter 2024.docx

03. उत्कृष्ट/उल्लेखनीय कार्यों से संबंधित निम्न आवश्यक अभिलेख संलग्न किया जावे :-

(1) उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र/प्रशस्ति पत्र।

(2) यदि पूर्व में कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण/प्रमाण पत्र।

(3) उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्यों के संबंध में प्रख्यात व्यक्तियों, शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैरशासकीय संस्थाओं, पत्र-पत्रिकाओं द्वारा की गई टिप्पणी की फोटो कापी/सत्य प्रतिलिपियां (यदि कोई हो तो)।

(4) व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में श्रमिक के नियोजक द्वारा जारी किया गया अनुसंशा/प्रमाण पत्र।

घोषणा पत्र

मैं/हम घोषणा करता/करती/करते/हूँ/हैं कि :-

(अ) पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों को पढ़ लिया है एवं इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है।

(ब) प्रपत्र में भरे गये विवरण पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है।

(स) विवरण असत्य पाये जाने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य विवरण देने के लिए मैं/हम विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी/रहेंगे।

स्थान -

दिनाँक -

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//संशोधित अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 28.05.2010

क्रमांक एफ 3–2/2006/16:–राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 252/व्हीआईपी/2002/1594, दिनांक 03.07.2002, "छत्तीसगढ़ स्व0 रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार नियम" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:–

1.1 यह नियम "छत्तीसगढ़ स्व. रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार नियम 2010" के नाम से जाना जायेगा।

1.2 यह पुरस्कार श्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जायेगा।

1.3 यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगा।

1.4 यह पुरस्कार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में श्रम क्षेत्र में किये गए उल्लेखनीय/उत्कृष्ट कृत्य के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार की श्रेणी में आयेगा।

1.5 शासन से तात्पर्य "छत्तीसगढ़ शासन, श्रम मंत्रालय" से है।

2. पात्रता:–

राज्य में स्थित श्रमिक/संस्था यह पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं।

3. पुरस्कार:–

इस नियम के तहत् चयनित व्यक्ति/संस्था को रूपये 2 लाख नगद पुरस्कार एवं प्रशस्तिपत्र से सम्मानित किया जायेगा।

4. अर्हताऍं:–

1. उपरोक्त पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा श्रम के क्षेत्र में वित्तीय किये गये उल्लेखनीय योगदान के आधार पर चयनित किया जायेगा, मजदूरों की सुरक्षा एवं की दिशा में विशेष कारगर उपाय किया हो जिसके फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में कोई दुर्घटना न हुई हो एवं सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया हो, जिससे प्रदेश श्रम जगत में गौरवान्वित हुआ हो।

2. (1) यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पु... करने हेतु स्वयं ही विभाग मे आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्र... संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/क... संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, त... सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी... प्रकरण नियमों के तहत् गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्र... करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सामा... प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंड... (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वतः ही स्व-विवेक से विचार कर... हुए, किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लि... चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्य सचिव... माध्यम से समन्वय में मान.मुख्यमंत्रीजी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. चयन समितिः-

प्रत्येक 01 अप्रेल से 31 मार्च तक की अवधि में किये गये उपरोक्त कार्यो की विवेच... के आधार पर किये जाने वाले इस पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्था का चयन माननीय श्रम मंत्रीजी छ.ग. शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च राज्यस्तरीय समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें नि... व्यक्ति सदस्य होंगेः-

1.	माननीय श्रम मंत्री, छ.ग. शासन	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, छ.ग. शासन	–	सदस्य सचिव
3.	श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर	–	सदस्य
4.	वित्त विभाग का प्रतिनिधि	–	सदस्य
5.	नियोक्ता संगठन का प्रतिनिधि	–	सदस्य
6.	श्रमिक संगठन का प्रतिनिधि	–	सदस्य

6. आवेदन की प्रकियाः-

1. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित की गयी तिथि तक विहित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाये
2. आवेदन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन/विज्ञप्तिं प्रकाशित किये जायेंगे।
3. यदि कोई आवेदन पत्र विभाग द्वारा निर्धारित किये गये तिथि के पश्चात् प्राप्त होता है, तो पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही उसे अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जायेगा।

7. **आवेदन पत्रों पर विचार की प्रकिया:-**

1. निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध कम में रखा जायेगा।
2. विभाग पुरस्कार के लिए उपरोक्त नियम कमांक 5 के अनुसार उच्च स्तरीय चयन समिति का गठन करेगा।
3. आवेदन पत्रों में से श्रेष्ठ कार्यो के आधार पर श्रमिक/संस्था का चयन "पुरस्कार चयन समिति" द्वारा किया जायेगा।
4. चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

8. **पुरस्कार कां विलोपन या रद्द करना:-**

यह पुरस्कार उस स्थिति में रद्द किया जा सकता है जिसमें यह पाया जाये कि धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया है। किन्तु विलोपन या रद्द करने का अ चयन समिति के पास ही सुरक्षित रहेगा। विलोपन या रद्द करने के निर्णय को न्याया चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

9. **अनर्हता**

पुरस्कार/प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार का दबाव या प्रलोभन अनर्हता मानी जायेग

10. **पुरस्कार वितरण प्रकिया:-**

यह पुरस्कार वर्ष में एक बार विश्वकर्मा जयंती के दिन अथवा शासन द्वारा अन्य किसी तिथि को प्रदान किया जावेगा।

11. **संशोधन**

शासन इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन/शिथलीकरण करने हेतु सक्षम ह उपरोक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य मे प्रभा

2/

जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
आदेशानुसार

(के0डी0 कुंजाम)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम वि

पृष्ठांकन क. एफ 3–2 / 2006 / 16 रायपुर दिनांक 28.

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
4 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,. मंत्रालय, रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, रायपुर
8. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर
9. आयुक्त, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर
10. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव को राजपत्र में प्रकाशनार्थ
11. स्टॉक फाइल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

(खण्ड–3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)
E-mail- com-labour.cg@gov.in, Phone No. 0771-2443515, Fax-0771-2443516

क्र./14/श्रम यशस्वी पुरस्कार/श्र.क./श्र.आ./2020/ 6209, दिनांक 25/09/2024,

प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क, जिला– रायपुर (छ0ग0)

विषय :- स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति यशस्वी पुरस्कार वर्ष 2024-25 के संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित करने बाबत्।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली राज्य स्तरीय पुरस्कार स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार 2024 से संबंधित विज्ञप्ति जनसाधारण के सूचनार्थ प्रदेश के विभिन्न 03 समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु संलग्न है। कृपया प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

24/9/24

(सविता मिश्रा)
अपर श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़

F:\section 5\all shram award docu\shram award 2024\application form letter 2024.docx

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, खण्ड–03, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)
Email ID - cglc2012@gmail.com, ☎ No.-0771-2443514, Fax No.-0771-2443516

// स्व0 रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार-2024-2025//

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार दिया जाता है जिसके अंतर्गत रूपये 02 लाख एवं प्रशास्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

अतः ऐसे श्रमिक/संस्था जिन्होने **''श्रम के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 में किये गये उल्लेखनीय योगदान के आधार पर चयनित किया जायेगा, मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दिशा में विशेष कारगार उपाय किया हो, जिसके फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में कोई गंभीर दुर्घटना न हुई हो एवं सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया हो, जिससे प्रदेश का नाम श्रम जगत में गौरवान्वित हुआ हो''** के द्वारा दिनांक 10.10.2024 तक श्रम विभाग की वेबसाईट में दी गई लिंक (**shramevjayate.cg.gov.in/alankran.aspx**) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

श्रम यशस्वी पुरस्कार से संबंधित नियम, अर्हताएं, प्रक्रिया, आवेदन प्रपत्र आदि श्रम विभाग की वेबसाईट (**shramevjayate.cg.gov.in/alankran.aspx**) से डाउनलोड की जा सकती हैं।

(अलरमेलमंगई डी)
श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़

F:\section 5\all shram award docu\shram award 2024\application form letter 2024.docx

स्व0 रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार 2024-2025 के लिए प्रविष्टि का निर्धारित प्रपत्र

प्रति,

श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर

--000--

01. श्रमिक/संस्था का विवरण

(अ) व्यक्तिगत आवेदन हेतु :-

श्रमिक का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल क्रमांक/ई-मेल	कार्यरत संस्था/कारखाने का नाम एवं पता
1	2	3	4	5

(ब) संस्था द्वारा आवेदन हेतु :-

संस्था/कारखाना का नाम एवं पता	संस्था/कारखाना के पदाधिकारी का नाम एवं पता	संस्था/कारखाना का पंजीयन/अनुज्ञप्ति क्रमांक/दिनांक	दूरभाष/मोबाईल क्रमांक
1	2	3	4

02. आवेदक श्रमिक/संस्था द्वारा किये गये कार्यों का सारगर्भित विवरण (अधिकतम 500 शब्दों में) प्रस्तुत किया जावे :-

03. उत्कृष्ट/उल्लेखनीय कार्यों से संबंधित निम्न आवश्यक अभिलेख संलग्न किया जावे :-

(1) उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र/प्रशस्ति पत्र।

(2) यदि पूर्व में कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण/प्रमाण पत्र।

(3) उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्यों के संबंध में प्रख्यात व्यक्तियों, शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैरशासकीय संस्थाओं, पत्र-पत्रिकाओं द्वारा की गई टिप्पणी की फोटो कापी/सत्य प्रतिलिपियां (यदि कोई हो तो)।

(4) व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में श्रमिक के नियोजक द्वारा जारी किया गया अनुसंशा/प्रमाण पत्र।

घोषणा पत्र

मैं/हम घोषणा करता/करती/करते/हूँ/हैं कि :-

(अ) पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों को पढ़ लिया है एवं इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है।

(ब) प्रपत्र में भरे गये विवरण पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है।

(स) विवरण असत्य पाये जाने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य विवरण देने के लिए मैं/हम विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी/रहेंगे।

स्थान -

दिनाँक -

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम